#### To start Lining Work

- 166. Shri Deepak Mangla, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister to line the Hassanpur distributary but the said work has not been started so far; and
  - (b) if so, the time by which the said work is likely to be started?

#### Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

- a) Yes, Sir.
- b) Hassanpur Distriburtary is the part of Agra Canal System which is owned and controlled by U.P. Irrigation Department. Revised capacity statement of the Channel has been sent to U.P. Irrigation Department for consent but the same is awaited. Administrative Approval will be sought from the Government after receipt of consent from U.P. Irrigation Department. Hence, no fixed time frame can be given.

# Additional Information Unstarred Assembly Question No. 166

Hassanpur Disty. is the part of Agra Canal system which is owned and controlled by U.P. Irrigation Department. Hassanpur Disty. offtakes from Agra Canal at RD 29 Mile 7 Furlong 650 feet Left Side. The length of Hassanpur Disty. is 22 Mile and discharge is 200 Cs at head. Hassanpur Disty. serves area of villages namely Kithwari, Taraka, Khedla, Rasulpur, Badoli, Rahimpur, Sulthanpur, Lalgarh, Bhawana, Kushak, Karimpur, Moruka Nangla, Gulabad, Jatoli, Likhi, Darana, Ramgarh, Bhiduki, Ainch.

Hon'ble Chief Minister, Haryana has announced for making the pucca Hassanpur vide CM Announcement Code No. 15189 dated 09.10.2016. Revised capacity statement of Hassanpur Disty. stands submitted to Executive Engineer, UAC-III Mathura, U.P. In spite of repeated requests and follow ups with U.P Irrigation Department, the pendency is at the level of U.P. Irrigation Department. Reminder letter has been sent to UP Irrigation Department vide this office letter No. 4342-43/8W dated 04.09.2020 for counter signing the revised capacity statement or to give timeline for the same. The matter has been also taken up with Deputy Commissioner, Palwal vide Executive Engineer, Palwal letter No. 4604-06/28M and No. 4607-09/28M dated 21.09.2020. After receiving of capacity statement from U.P Govt., revised L-Section will be prepared and Administrative Approval will be taken from Govt., and the work of lining of this channel will be started.

### पक्का करने का कार्य आरम्भ करना

- **166.** श्री दीपक मंगला, एम.एल.ए.: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:—
  - (क) क्या यह तथ्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा हसनुपर डिस्ट्रीब्यूट्री को पक्का करने की घोषणा की गई है परन्तु उक्त कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है; तथा
  - (ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

# श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) हाँ, श्रीमान जी।
- (ख) हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी आगरा नहर प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन व अधिकार क्षेत्र में आता है। चैनल का संशोधित क्षमता विवरणी उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग की सहमति के लिए भेज दी गई थी लेकिन वह अभी तक प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मांगी जाऐगी। इसलिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

## अतिरिक्त सूचना विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या—166

हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी—आगरा नहरी प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन व अधिकार क्षेत्र में आता है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी आगरा कैनाल की बायों ओर से 29 मील 7 फर्लांग 650 फीट दूर से निकलती है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की लम्बाई 22 मील और हैड पर डिस्चार्ज 200 क्यूसिक है। हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी विभिन्न गांवों के क्षेत्र जैसे किठवारी, तारका, खेड़ला, रसूलपुर, बडौली, रहीमपुर, सुलतानपुर, लालगढ़, भवाना, कुशक, करीमपुर, मोरूका नगंला, गुलाबाद, जौली, लखी, दराना, रामगढ़, भिडुकी, आइंच को पानी प्रदान करती है।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी को पक्का करने के लिए घोषणा कोड नं0 15189 दिनांक 09.10.2016 के अंतर्गत घोषणा की। हसनपुर जिले का संशोधित क्षमता विवरणी कार्यकारी अभियन्ता यू.ए.सी.—III मथुरा, उत्तर प्रदेश को भेज दी गई था। बार—बार अनुरोध और अनुवर्ती कार्यवाही के बावजूद भी यह कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के स्तर पर कार्यवाही हेतु लंबित है। संशोधित क्षमता विवरणी पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए या इसकी समय सीमा निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग को इस कार्यालय पत्र संख्या 4342—43/8W दिनांक 04.09.2020 के लिए स्मरण पत्र भेजा गया है। इस मामले को उपायुक्त, पलवल को भी कार्यकारी अभियन्ता, पलवल के पत्र क्रमांक 4604—06/28M और संख्या 4607—09/28M दिनांक 21.09.2020 द्वारा अवगत करवाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिहस्ताक्षरित क्षमता विवरण प्राप्त होने के बाद संशोधित L-Section तैयार किया जाऐगा और सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन लिया जाऐगा और इस चैनल को पक्का करने का काम शुरू किया जाऐगा।